कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लखनऊ।

पत्रांक 226 /सि0ख0ल0/ दिनांकः–02/02/,2018

विषयः खसरा सं0 161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट), उत्तरधौना, फैजाबाद रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास भवन मानचित्र की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक 412/AA/ MICP, दिनांक 22.11.2017

अधिशासी अभियन्ता(मानचित्र सेल), लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ठ करें, जिसके द्वारा विषयक प्रकरण पर इस स्तर से अनापत्ति/आपत्ति आख्या उपलब्ध कराने हेतु वांछना की गयी है। उक्त के कम में इस खण्ड के जिलेदार के पत्रांकः 29/जिलेदार/सिं0ख0ल0/दिनांक 31.01.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयक प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त समस्त गाटा संख्या शारदा सहायक परियोजना से सम्बन्धित नही है इस लिए उक्त गाटा संख्याओं पर कोई आपत्ति नही है। समस्त तदसंलग्नकों सहित आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

पत्रांकः /सि0ख0ल0/तददिनांकः–

प्रतिलिपि जिलेदार, सिंचाई खण्ड, लखनऊ को उनके पत्रांकः 29/जिलेदार/सिं0ख0ल0 / दिनांक 31.01.2018 के संदर्भ में।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

प्रेषक,

तहसीलदार–अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (मानचित्र सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

पत्रांकः 308/ए.सी./तह./2018 दिनांकः 12.04.2018

विषयः **खसरा सं0–161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट), उत्तरधौना, फैजाबाद रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास भवन मानचित्र की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–412/ए.ए./एम.सी. दिनांक 22.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खसरा सं0–161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट), के क्षे0–7.5280 हे0 में से क्षे0–3.1394 हे0 भूमि पर मे0 ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स, द्वारा उत्तरधौना, फैजाबाद रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास भवन मानचित्र हेतु अनापत्ति पर प्रभारी अधिकारी–अर्जन द्वारा सूचनापत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र हस्ताक्षर/अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, उक्त सूचनापत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(राम शंकर) 12.4.18
तहसीलदार–अर्जन

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

आपत्ति रहित / अनापत्ति जनसूचना पत्र

भवन विभाग से प्राप्त किये गये भवन चित्र पर ट्रस्ट विभाग की आख्या।

दिनांक 22/11/2017

पत्र सं० 4121/A-A/मानचित्र सेल

क– 1 जिस भूमि पर निर्माण प्रस्तावित है ट्रस्ट योजना की भूमि है या नही । "ट्रस्ट योजना की भूमि नहीं है"

क–2 नाम आवेदक: मे० ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स

ख– भूमि का नियोजित प्लाट संख्या क्षेत्रफल तथा योजना वर्ष: खसरा संख्या- 161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट) 167 (पार्ट) एवं 171 (पार्ट) स्थित ग्राम उत्तर धौना फैजाबाद रोड लखनऊ क्षेत्रफल - 31394.535 sqmt

1 भूमि के लीज की तिथि तथा पटेदार का नाम ....

2. भू हस्तान्तरण की दशा में भूमि के विकय की तिथि तथा केता का नाम .... ×

3. लीज का प्रयोजन आवासीय / वाणिज्यिक / शैक्षिक अथव अन्य .... ×

4. लीज पर दी गयी भूमि का क्षेत्रफल .... ×

5. क्या लीज का रिनीवल होना था रिनीवल हुआ या नही यदि रिनीवल हो गया हो तो किन नामों से तथा था कब हुआ। .... ×

6. लीज भूमि का किराया कब तक का जमा है । .... ×

7. लीज की भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति है या नही । .... ×

8. क्या लीज पर पहले से भवन निर्मित है यदि है तो क्या प्रस्तावित्त निर्माण उससे अलग है तथा क्या ऐंसी अनुमति पट्टे मे है ×

9. पट्टे मे भवन निर्माण कितनी अवधि में पूर्ण करा लेने की शर्त थी निर्माण प्रस्वात्ति किया जा रहा है निर्धारित अवधि के अन्दर है या नही । ×

ग– अनापत्ति

.... "सूचना पत्र" ....

....

डिस्पैच नम्बर 63/S.O(T)/2017 दिनाँक 09/01/2018

नोट – क, ख (1सं 9) तक तथा ग बिन्दुओं पर रिपोर्ट अगर नक्शा पास होने योग्य है तो अनापत्ति प्रमाण अथवा आपत्ति प्रमाण–पत्र दिया जायेगा ।

06/01/2018
एस० पी० दुबे
अमीन–ट्रस्ट
लखनऊ विकास प्राधिकरण

6/1/18
(चित्र नायक सिंह)
अवर वर्ग सहायक
योजना सहायक

6/1/18
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

08/01/18
(राजेश कुमार शुक
तहसीलदार
ल०वि०प्रा०

आख्या

श्रीमान, पत्रांक 412 आयुक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण जो कि खसरा संख्या 161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171 (पार्ट) ग्राम - उतरधौना लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास नक्शा मानचित्र की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में है कि स्थलीय व अभिलेखीय जाँच की गई आख्या निम्नवत है-

गाटा संख्या $\frac{161}{1.309}$, $\frac{162}{0.518}$, $\frac{163}{0.932}$, $\frac{164}{1.069}$, $\frac{165}{2.026}$, $\frac{167}{1.210}$, $\frac{169}{0.644}$ व $\frac{171}{0.580}$ स्थित ग्राम-उतरधौना पर० व तह० व जिला-लखनऊ सक्रमणीय भूमिधर के रूप में मे० ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स पंजीकृत कार्यालय खसरा नं० 174 अपोजिट राजकीय इंजीनियरिंग कालेज उतरधौना लखनऊ आदि के नाम अंकित है। उपरोक्त खसरा नम्बरों में कोई ग्राम-समाज की भूमि सम्मिलित नहीं है। अतः राजस्व की दृष्टि से उपरोक्त खसरा नम्बरों पर कोई आपत्ति नहीं है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

[signature]

16/12/17

शिव प्रसाद

(लेखपाल)

क्षेत्र- उतरधौना

तह०- सदर, लखनऊ

महोदय,

लेखपाल आख्या संस्तुति सहित प्रेषित।

Ratnesh

RIC

18/12/17

रत्नेश कुमार

राजस्व निरीक्षक

~~प्र० अ० मानचित्र सेवा लखनऊ विकास~~ उक्त खसरा खतौनी की प्रविष्टि के आधार पर अनापत्ति आख्या अग्रसारित।

[signature]

26/12/17

तहसीलदार सदर, लखनऊ

{मूल पत्रावली संलग्न है}

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, यातायात लखनऊ

पत्रांकः एसटी/एसपीटी–एनओसी–2/2018 दिनांकः फरवरी 25 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता(मानचित्र सेल)
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

कृपया अपने पत्र संख्याः 412/एए/एनआईसी–आईपी दिनांक 22.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से आवेदक/मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा खसरा संख्याः 161, 162, 163, 164, 165, 169(पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट) उत्तरधौना फैजाबाद रोड लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र की स्वीकृति हेतु जरिये विशेष वाहक प्रेषित करते हुए यातायात पुलिस विभाग से आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबन्ध में अवगत कराना है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त आवेदक/मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा खसरा संख्याः 161, 162, 163, 164, 165, 169(पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट) उत्तरधौना फैजाबाद रोड लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र की स्वीकृति हेतु यातायात पुलिस विभाग से आपत्ति/अनापत्ति पत्र जारी किये जाने के क्रम में प्रस्तावित स्थान पर दो/चार पहिया वाहन पार्किंग के संबन्ध में आपके माध्यम से प्राप्त नक्शा (जिस पर इस कार्यालय द्वारा प्रदर्श 'क' डाला गया है तथा टीएसआई यातायात/प्रभारी यातायात क्षेत्र न्यू हाईकोर्ट/उत्तरी, लखनऊ श्री प्रेम शंकर के हस्ताक्षर दिनांकित 06.02.2018 अंकित है) पर भौतिक निरीक्षण कराकर आख्या प्राप्त की गयी। प्रकरण में टीएसआई यातायात/प्रभारी यातायात क्षेत्र न्यू हाईकोर्ट/उत्तरी, लखनऊ श्री प्रेम शंकर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 06.02.2018 के माध्यम से शर्तो एवं वचनबद्वताओं के अधीन प्रश्नगत मानचित्र पर एनओसी निर्गत करने में कोई समस्या प्रतीत नही होती है, टिप्पणी प्राप्त हुई है। अतः टीएसआई यातायात/प्रभारी यातायात क्षेत्र न्यू हाईकोर्ट/उत्तरी, लखनऊ श्री प्रेम शंकर द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर वाहन पार्किंग के परिप्रेक्ष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जो मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है। **यदि उक्त नक्शा एल.डी.ए. द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है तो तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।**

संलग्नकःयथोपरि।

25/2

(रवि शंकर निम)
पुलिस अधीक्षक, यातायात,
लखनऊ

ई-मेल आई.डी-eeeudochinhat@gmail.com
मोबाइल नं0-9415901128

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (चिनहट)
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0
33/11 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-4, गोमती नगर, विस्तार
लेसा-लखनऊ।

पत्रांक : 435 /वि0न0वि0ख0(चिनहट)/ दिनांक 7/2/18

विषय : **खसरा संख्या 161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171 (पार्ट), उत्तरधौना, फैजाबाद रोड लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास भवन मानचित्र की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में।**

अधिशाषी अभियन्ता (मान0-सेल),
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 412/AA/M/C-1 दिनांक 22.11.2017 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि खसरा संख्या 161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171 (पार्ट), उत्तरधौना, फैजाबाद रोड लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास भवन मानचित्रों के सन्दर्भ में अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि (विद्युत आपूर्ति संहिता 2005) अथवा तत्कालीन लागू संहिता के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित विभव पर तत्कालीन तकनीकी संभाव्यता के आधार पर उचित उपकेन्द्र से कनेक्शन उपभोक्ता के व्यय पर निर्गत किया जायेगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप बंसल)
अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक : /वि0न0वि0ख0(चिनहट)/ दिनांक ....

प्रतिलिपिः-

1. मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स, ओमेगा क्लब, 174, अपोजिट राम स्वरुप इंजीनियरिंग कालेज, फैजाबाद रोड लखनऊ।

(संदीप बंसल)
अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

पत्र संख्या—प—2166 / एफएस—15 दिनांकः जनवरी 19 .2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता(मा0सेल),
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिनखण्ड,गोमतीनगर
लखनऊ।

विषयः— **खसरासं0—161,162,163,164,169,165(पार्ट),167(पार्ट)एण्ड 171(पार्ट) ग्राम—उत्तरधौना फैजाबाद रोड, चिनहट जिला—लखनऊ मे मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

....

कृपया आवेदक के पत्र दिनांक—30.12.17 व आप अपने पत्र दिनांक—22.11.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जो उपरोक्त विषयक है।

प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन के प्रस्तुत मानचित्र मे प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं अभिलेखो का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण एनबीसी—2016 तथा भवन निमार्ण एवं विकास उपविधि—2008 के अनुसार अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर से कराया गया जिसकी आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है—

भवन की संरचनाः—

1—कुल भूखण्ड एरिया— 31394.53 वर्गमीटर।

रेजीडेन्सीयल

- भूतल का कर्वड एरिया— 5448.14 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया— 5020.38 वर्गमीटर।
- द्वितीय तल से 13वें तल का कर्वड एरिया— 5067.12 वर्गमीटर।
- 14वें तल का कवर्ड एरिया— 4653.48 वर्गमीटर।
- वेसमेन्ट का कवर्ड एरिया— 21548.28वर्गमीटर।

व्यवसायिक / फैसिलिटीज—

- भूतल का कर्वड एरिया— 626.44 वर्गमीटर।
- प्रथम तल का कर्वड एरिया— 655.74 वर्गमीटर।

2—भवन की की अधिकतम ऊँचाई—44.850 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी—प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

ढाँचागतव्यवस्था—

1—पहुँच मार्ग—भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 12.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2—प्रवेश व निकास द्वार की चौडाई कमशः—06.00 मीटर व 06.00 मीटर है,जो मानक के अनुसार है।

3—सेटबैक—भवन का सैटबैक निम्नवत हैं—

- अग्रभाग— 13.00 मीटर।
- पृष्ठभाग— 13.00 मीटर।
- पार्श्व भाग प्रथम— 13.00 मीटर।
- पार्श्व भाग द्वितीय— 13.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक एनबीसी—2016 के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें। सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा। बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की भार वहन क्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

निकास मार्ग–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे दो–दो स्टेयर प्रत्येक की चौड़ाई–01.50 मीटर का तथा व्यसायिक ब्लाक मे दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई–02.00 मीटर व 01.20 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5–**रिफ्यूज एरिया का विवरण**–प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी प्राविधानित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1–**भूमिगत टैंक**–भूमिगत टैंक 200000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

2–**पम्प**–भूमिगत टैक के पास मेन पम्प 1620 एलपीएम क्षमता का एक विद्युत चालित पम्प एक डीजल चालित पम्प 1620 एलपीएम क्षमता तथा एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का स्थापित कराया जाना मानचित्र मे प्रविधानित है।

3–**होजरील**–प्रस्तावित भवन मे होजरील लैण्डिग वाल्व आई0एस0–3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र मे प्रविधानित है।

4–**वेटराइजर**–प्रस्तावित भवन के मानचित्र मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0–2016 के मानको के अनुरुप स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

5–**यार्ड हाईड्रेन्ट**–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाई डेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

6–**हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम**–मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान प्रत्येक टावर मे एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

7–**स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**–आवश्यक नही है।

8–**स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**–बेसमेन्ट मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कराया जाना प्रविधानित है।

9–**टेरिस टैंक**–भवन के टैरिस पर टेरिस टैंक–10000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10–**टेरिस पम्प**–भवन के प्रत्येक टावर/ब्लाक पर टैरिस टैंक के पास 450 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

11–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर)**–भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

12–**स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम**–भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

13–**एग्जिट साइनेज**–सम्पूर्ण भवन मे एग्जिटसाइनेज स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

14–**पी0ए0 सिस्टम**–सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

15–भवन का निर्माण हो जाने के उपरान्त भवन मे अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा प्रणाली के कुशल संचालन हेतु एक फायर आफिसर के नेतृत्व मे प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार खसरा सं0–161,162,163,164,169,165(पार्ट), 167(पार्ट) एण्ड 171(पार्ट) ग्राम–उत्तरधौना,फैजाबाद रोड, चिनहट जिला–लखनऊ मे मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2016 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगे था भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन मे अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।अन्यथा निर्गत किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

19.01.2017

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि–अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।